

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या

:- श्री अशोक कुमार, आर ए एस
:- 80 / 2022

शीर्षक

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र साधूराम उन्न व्यस्क जाति माली निवासी ढाणी सिहाला वार्ड नं. 16 मोहल्ला खातेडी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

वादी

बनाम

1. साधूराम पुत्र कालू उर्फ कालूराम
2. कैलाश चन्द पुत्र साधूराम
3. अमरचन्द पुत्र साधूराम समस्त जाति माली निवासी ढाणी सिहाला वार्ड नं. 16 मोहल्ला खातेडी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
4. हंसादेवी पुत्री साधूराम पत्नी महेन्द्र जाति माली
5. रचना देवी पुत्री साधूराम पत्नी कमलेश जाति माली दोनो निवासी ढाणी पन्डाला नारायणपुर जिला अलवर राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह. शाहपुरा जिला जयपुर राज.
7. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज.

प्रतिवादीगण

8. रमेशचन्द पुत्र साधूराम जाति माली निवासी ढाणी सिहाला वार्ड नं. 16 मोहल्ला खातेडी शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
9. अनोप देवी पुत्री साधूराम पत्नी रामनिवास जाति माली
10. मखनी देवी पुत्री साधूराम पत्नी धनश्याम जाति माली निवासी वार्ड नं 17 पुराला की ढाणी प्रागपुरा तह 0 पावटा जिला जयपुर राज 0।

तरतीबी प्रतिवादीगण



दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 12/07/24

अतः दावा राजीनामा में वर्णित हिस्से अनुसार डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 3667/1/0.23, 3668/1/0.12, 3693/1/0.28, 3697/1/0.15, 3698/1/0.03 कुल किता 05 कुल रकबा 0.81 है 0 वाकै ग्राम शाहपुरा तह 0 शाहपुरा जिला जयपुर का प्रतिवादी सं 0 01 के बजाय राजीनामा के जिमन नं 0 08 लगायत 11 अनुसार वादी, प्रतिवादी सं 0 01 व प्रतिवादी सं 0 02 लगायत 05 व तरतीबी प्रतिवादी सं 0 08 लगायत 10 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी, प्रतिवादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक-दूसरे के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें। तहसीलदार शाहपुरा को राजीनामा में वर्णित हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने हेतु तहरीर जारी हो। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा (जयपुर-ग्रामीण)

वाद के खर्च

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह - व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	